संख्या- 28 /2025/ 168 /चार-2025-1801053

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊः दिनांक 20 जनवरी, 2025

विषय- दिनांक 24-26 जनवरी, 2025 की अवधि में 'उत्तर प्रदेश दिवस-2025' को समारोह पूर्वक आयोजित किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-4892/सं0नि0-15(113)/2024-25, दिनांक 10 जनवरी, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 24-26 जनवरी, 2025 की अवधि में 'उत्तर प्रदेश दिवस-2025' समारोह पूर्वक आयोजित किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में रू0 73.00 लाख का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. अवगत कराना है कि संस्कृति विभाग के शासनादेश संख्या- 11/ 2025/ 67 / चार-2025-1883057 दिनांक 08 जनवरी, 2025 द्वारा दिनांक 24-26 जनवरी, 2025 की अवधि में 'उत्तर प्रदेश दिवस-2025' को समारोह पूर्वक आयोजित किये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये हैं।

3. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार दिनांक 24-26 जनवरी, 2025 की अवधि में 'उत्तर प्रदेश दिवस-2025' को प्रदेश के 73 जिला मुख्यालयों (जनपद लखनऊ एवं गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर) में समारोह पूर्वक आयोजित किये जाने हेतु रू0 73.00 लाख (रू0 तिहत्तर लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(2) शासनादेश संख्या- 11/ 2025/ 67 / चार-2025-1883057 दिनांक 08 जनवरी, 2025 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) नोएडा में आयोजित राज्यस्तरीय आयोजन हेतु समस्त व्यय नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण एवं यमुना एक्सप्रेस वे विकास प्राधिकरण द्वारा 40:40:20 के प्रतिशत के अनुपात में वहन किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(6) प्रदेश के 73 जिला मुख्यालयों (जनपद लखनऊ एवं गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर) में 'उत्तर प्रदेश दिवस-2025' समारोह का आयोजन किये जाने हेतु प्रत्येक जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के बैंक खाते में रू0 1.00 लाख प्रति जनपद की दर से उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(8) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(9) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(10) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि का संबंधित संस्था/ संस्थान को समयान्तर्गत भुगतान के उपरान्त यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(12) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(13) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय- 20-उत्तर प्रदेश दिवस -42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

संख्या- 28 /2025/ 168 (1)/ चार-2025-1801053, तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. समस्त जिलाधिकारी/ अध्यक्ष, जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद, उ0प्र0।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7. वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in